

# महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वावलंबन : एक अध्ययन



डॉ० गायत्री कुमारी  
एम.ए., पीएच.डी. (समाजशास्त्र)  
बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर (बिहार)

महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाओं से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशील और सरोकार व्यक्त किया जाता है सशक्तिकरण की प्रक्रिया में समाज को पारस्परिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है जिसने महिलाओं की स्थिति को सदैव कमतर माना है वैश्विक स्तर पर नारीवादी आंदोलनों और 'यूएनडीपी' आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने महिलाओं के सामाजिक समता, स्वतंत्रता और न्याय के राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है महिला सशक्तिकरण, भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है।

जहाँ तक महिलाओं की आर्थिक स्वालंबन का सवाल है, सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिपात कर लें। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 1986 के अनुमान के अनुसार सम्पूर्ण महिलाओं की जनसंख्या का 32.2 हिस्सा या एक सौ करोड़ महिलाएं वर्ष 2000 में आर्थिक रूप से सक्रिय श्रेणी में होंगी। इसमें से 70 करोड़ महिला विकासशील देशों की होंगी। इसका आशय यह है कि यह भागीदारी 1985 के स्तर से कम होगी। दूसरे सन् 2000 में विकसित देशों में 15-16 वर्ष के आयु समूह की 60 प्रतिशत महिलायें आर्थिक रूप से सक्रिय होंगी जबकि विकासशील देशों में यह प्रतिशत पचास से कम होगा। यह सर्वविदित है कि 1975-85 के दशक को संयुक्त राष्ट्र महिला दशक घोषित किया गया था। लेकिन जब इस दशक के मुख्य उद्देश्य का मुद्दा उठा तो विश्व के विभिन्न देशों की महिलाओं, महिला संगठनों एवं सरकारों का दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न था। मसलन

पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका को विकसित देश इसका केन्द्रीय उद्देश्य समता मानते थे जबकि तीसरी दुनिया के अविकसित देश विकास पर जोर दे रहे थे और पूर्वी यूरोप के साम्यवादी/समाजवादी देश शांति पर जोर दे रहे थे। जाहिर है कि ये तीन प्रकार के उद्देश्य तीन भिन्न क्षेत्रों की जलरतों/समरूपाओं/प्राथमिकताओं पर आधारित थे। सो अंततः तीनों उद्देश्यों को एक साथ समेकित रूप से रखने पर सहमति हुई और घोषणा की गई कि ये तीनों उद्देश्य अन्तः संबंधित एवं पारस्परिक रूप से एक दूसरे से सुदृढ़ करने वाले हैं जिससे एक उद्देश्य की उपलब्धि दूसरे की उपलब्धि में योगदान देती है।

यदि स्त्री पढ़ी लिखी है और आर्थिक तौर पर सुदृढ़ हो जाए तो क्या उसके प्रति समाज का रवैया बदल जाता है? यह प्रश्न नारी वर्ग के मन में सहज उत्पन्न होता है ऐसा प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्योंकि विकसित देशों में जहाँ स्त्री का जीवन स्तर ऊँचा है वहाँ भी उक्सा दमन होता है वहाँ भी असमानता मौजूद है।

आर्थिक शक्ति मिलने के बावजूद स्त्रियों को घरेलू काम में हाथ बेरोजगारी का बहाना बनाकर रह जाते हैं। और सामाजिक बुराईयों में फँसकर रह जाते हैं। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब तक स्त्री अपने को कमतर मानती रहेगी, तब तक बाहरी हस्तक्षेप उसे वह ताकत नहीं देते, जिसके बल पर वह परिवार और समाज के सामने उठकर खड़ी रहे। उसे समाज को यह अहसास दिलाना होगा कि उसका घरबार चलाने में कितना सहयोग है। साथ ही उसे स्वयं भी अपनी योग्यता और समझ की कद्र करनी चाहिए। किसी बाहरी शक्ति का मुँह जोहने की बजाय अपने आसपास की महिलाओं को संगठित करके इस मुहिम को शक्ति प्रदान करनी होगी।

संयुक्त राष्ट्र की इस घोषणा से यह महसूस किया गया कि महिलाओं की दशा सुधारने के उपायों से समूचे समाज पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। सन् 1985 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि सन् 2000 तक समाज के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की पूर्ण एवं समान भागीदारी में बाधाओं को दूर करने हेतु सभी सरकारों को उचित एवं युक्तिसंगत राष्ट्रीय महिला नीतियाँ बनानी चाहिए। यह भी स्पष्ट है कि आर्थिक स्वतंत्रता आज्ञात्म निर्भरता की एक जलरी शर्त है, अतः ऐसे प्रयास अन्ततः लाभदायक क्रिया-कलापों तक महिलाओं की बढ़ती पहुँच पर केन्द्रीय होने चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सदियों के भेदभाव को दूर करने के उपाय इस्तेमाल करने होंगे। संयुक्त राष्ट्रमहिला दशक के तीन

उपलब्ध रोजगार स्वास्थ्य एवं शिक्षा तय किये गये। इन्हीं तीनों उपलब्धों के मूर्त आधारों पर समता विकास एवं शांति ठिकी है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आँकड़ों के अनुसार सन् 1975 में भारत में बेरोजगार जनसंख्या में करीब 12 प्रतिशत बेरोजगार महिलाएँ थी जो 1985 में बढ़कर 17 प्रतिशत हो गयी जबकि इसी दौरान आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी 28.5 प्रतिशत से घटकर 26.2 प्रतिशत हो गई है।

सन् 2010 तक में संभावित स्थिति का सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गणना के मुताबिक विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र में 57 प्रतिशत महिलाएँ और 51 प्रतिशत पुरुष आर्थिक रूप से सक्रिय होंगे जबकि गैर कृषि क्षेत्रों उद्योग एवं सेवा में 43 प्रतिशत महिलाएँ और 49 प्रतिशत पुरुष आर्थिक रूप से सक्रिय होंगे। सन् 2010 में सभी कृषि मजदूरों में 64 प्रतिशत पुरुष होंगे और 36 प्रतिशत महिलाये होंगी। इस प्रकार महिलाओं की भागीदारी 1950 में 36 प्रतिशत से भिन्न नहीं होंगी किन्तु 1980-85 से घट जायेगी। दूसरे सन् 1950 में विकासशील देशों में महिलाओं का हिस्सा उद्योग और सेवा क्षेत्रों में पच्चीस प्रतिशत था जो 1980 में बड़ा उद्योग में 28 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 30 प्रतिशत हो गया। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो सन् 2010 में गैर-कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 31 प्रतिशत हो जायेगी।

विकासशील देशों में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी भिन्न-भिन्न रही है। मसलन, मध्य दक्षिण एशिया जिसमें भारत स्थित है में सन् 1950 में कुल महिलाओं का 89 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में था जो 1985 में घटकर 74 प्रतिशत हो गया और सन् 2010 में पुनः घटकर 64 प्रतिशत संभावित है। दूसरी ओर सन् 1950 में कुल पुरुषों का 74 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में था जो 1985 में घटकर 64 प्रतिशत हो गया और सन् 2000 में पुनः घटकर 59 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा गैर कृषि क्षेत्रों में 1980 में 35 प्रतिशत पुरुष लगे थे जबकि महिलाओं का प्रतिशत मात्र 23 प्रतिशत था। किन्तु पुरुष सेवा क्षेत्र में ज्यादा है।

राष्ट्रीय महिला कोष अपने कार्यक्रम को पूरे देश में फैलाने के लिए और अधिकारिक तौर पर निर्धन महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से सशक्त बनाने के लिए देश भर में अपने कार्यक्रम का एक समान विस्तार करने की रणनीति बना रहा है। जिसके अंतर्गत निर्धन महिलाओं की अल्प ऋणी संरथा के रूप में अपनी पहचान बनाना अपनी वर्तमान ऋण प्रचालन राशि को 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40 करोड़ रुपये करना। विभिन्न ग्राहकों को लक्षित

करते हुए अपने ऋणों की संख्या बढ़ाना ग्राहक अनुकूल ऋण प्रदान करने वाले नये तंत्र की शुरूआत करना जीविका के लिए वित्त पोषण से लघु उद्यम एवं लघु बीमा के ऋण उपलब्ध कराना निर्धन महिलाओं के बीच उद्यम कौशल विकसित करना और ऋण प्रदानकर्ता के रूप में कार्य करते रहना और अपनी छोटी-मोटी ऋण की जरूरतों के लिए स्वैच्छिक संगठनों इत्यादि को प्रोत्साहित करना जैसे कार्यक्रम शामिल है।

आर्थिक रूप से सक्रिय और आत्मनिर्भर होने से इनकी आर्थिक जीवन शैली में अभूतपूर्व परिवर्तन आ रहा है। कुछ जरूरतमंदों को छोड़कर इनमें से अधिकांश महिलाओं की आय परिवार के लिए अतिरिक्त आय है अर्थात् सरप्लस इनकम है इनका उपयोग वे जमीन खरीदने और मकान बनाने उसे सजाने सुविधा प्राप्त करने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने होटलों में खाने कार खरीदने तथा अपने स्टेटस को बढ़ाने में ही अधिकतर कर रही है।

यह महिला अब अपने तथा परिवार और समाज के बारे में सोच रही है। इस परिवर्तन का प्रभाव धीरे-धीरे स्त्री सशक्तिकरण पर भी दिख रहा है। परिवार की आत्मनिर्भर महिला परिवार के निर्णय लेने में सक्षम हो रही है, विशेषतर घर खरीदने में उसे सजाने बच्चों की शिक्षा उनका विवाह आदि में इनका निर्णय महत्वपूर्ण हो गया है। फिर भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने पर सामाजिक निर्णय की प्रक्रिया में इनका योगदान कम है। माझक्रो र्तर पर मध्यम वर्ग की कामकाजी महिला का सशक्तिकरण हो गया है पर मेक्रो र्तर पर उनका संघर्ष जारी है।

इस प्रकार भारत में स्त्री सशक्तिकरण का आर्थिक जाति तथा वर्ग के अन्तर्विरोधी तथा अन्तरसंबंधी समीकरणों का अध्ययन है। हमारा सारा समाज इस प्रकार से टुकड़े में बिखरा हुआ है कि इसका व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना कठिन है उनके लिए हमारे पास उपयुक्त औजार भी नहीं हैं और पचास वर्षों से हमारे शासक यह काम करना भी नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि महिलाओं के पिछड़े रहने में उनका निहित स्वार्थ है।

### **संदर्भ सूची :**

1. मदन डॉ. जी. आर परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र
2. मिश्र मीरा-सामाजिक परिवर्तन एवं भारतीय नारी
3. शर्मा डॉ. ऋषभ देव-स्त्री सशक्तिकरण के विविध आयाम
4. वही पृष्ठ
5. रस्तोगी के.जी.-भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएं
6. द हिन्दू दिनांक 25 अक्टूबर 1999